UNIVERSITY OF ALLAHABAD
B.Ed. ADMISSION 2020
Helpdesk Email: helpdesk.aupravesh2020@gmail.com
Helpdesk No.: +91-9453819385; 9455874516

INFORMATION BROCHURE

B.Ed. ADMISSION TEST-2020

Please refer www.aupravesh2020.com or Admission-2020 link of www.allduniv.ac.in for more detail

IMPORTANT NOTE

1. The applicant must take due care while filling up the form (online). The information provided by the applicant in his/her form shall not be changed or altered in any case and the University will not entertain such requests under any circumstance. The University shall not be liable for any mistake made by the applicant.
2. In case if the number of registered candidates at any of the examination centres is less than 100 (One Hundred), then in such case the registered candidates will be allotted the nearest centre.
3. There is no provision of revaluation/scrutiny.
4. In case of any discrepancy in the Hindi version, the English version of the brochure will be treated as correct version.
5. Only such RTI applications shall be entertained which are received within 60 days from the declaration of final result.
6. Each candidate will also have to mention his / her Sub-Category alongwith his / her overall category i.e. UR, EWS, SC, ST and OBC.
7. To give the benefit to students who have passed the elegibility examination in the current year 2019-20 a deduction of 5% marks would be made for every gap year from the obtained marks. The maximum deduction would be 15%.
8. Every candidate will have to declare any disciplinary action/police action against him.
9. The Registration Fees for Unreserved, EWS and OBC Category is Rs. 1600/- and SC/ST/PH is Rs. 800/-.
10. Every candidate can view his/her Answer Sheet within one month of declaration of Results by paying a token amount Rs. 100/- at Pravesh Bhawan.

IMPORTANT NOTE

IMPORTANT EVENTS	DATES / TIME
Online Registration and Submission process begins	**10.05.2020**
Last Date of Online Registration & Submission of Form	**IT WILL BE ANNOUNCED LATER BASED ON ADVISTORY OF GOVERNMENT OF INDIA REGARDING COVID-19**
Date of Entrance Test	**TO BE ANNOUNCED LATER**
Downloading of Admit Cards	**One Week before the Admission Test**

Application Form shall be Available Online Only

Application form shall be filled and submitted Online only on following website www.aupravesh2020.com OR Admission-2020 link of www.allduniv.ac.in.

ORDINANCES ON ADMISSION TO THE BACHELOR OF EDUCATION (B.Ed.) COURSE

Please visit www.aupravesh2020.com or Admission 2020 link of www.allduniv.ac.in for more details.

In these ordinances, unless the context otherwise requires

i. 'Admission' means admission to the B.Ed. course.

ii. 'Admission Test' means the test held in accordance with the provisions of these ordinances and regulations made there under towards the assessment of the eligibility and relative merit of candidates.

iii. 'Candidates' means a person who fulfills the requirements laid down in these ordinances and the regulations made there under for admission to B.Ed. course and has applied for such admission in the manner specified there in.

iv. 'Computed Marks' means the marks assigned to the candidate, in accordance with the provision of these ordinances and the regulations made there under, on the basis of his score in the B.Ed. Admission Test-2020 has modified by the addition of weightages applicable for determining his/her position in the order of merit for admission to the B.Ed. course.

v. 'Qualifying examination' means the graduate and Bridge Course Examination. The candidates is required, by the provisions of these ordinances and regulations made there under, to have passed in order to be eligible to apply for appearing in the admission test and for admission.

vi. 'Qualifying marks' means, in respect of candidates require to appear in admission test-2020, the minimum marks as specified by the National Council for Teacher Education.

1. Admission rules and Provisions for B. Ed. Course:

Admission for B. Ed. Course shall be held for affiliated colleges of University of Allahabad i.e.

(1) K. P. Training College (Government Aided) Co-ed Institution and

(2) S. S. Khanna Girls Degree College (Under self finance scheme) for girls only. B. Ed. Course will be of Two Years (4- Semester) which can be completed within a maximum period of 03 years.

1.1 Candidates with at least 50 % marks either in Bachelors Degree and / or Masters Degree in Science/ Social Science/ Humanity, Bachelors in Engineering or Technology with specialization in Science and Mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the programme.

1.2 Relaxation in qualifying marks and reservations for S. C. / S. T. /O.B.C. /P.W.D. and other classes shall be as per Central Government rules.

1.3 Only those candidates can apply for B. Ed. Admission, who has passed the qualifying U.G./P.G. examination from the University of Allahabad or any other University recognized by UGC.

1.4 Admission to Teacher Education Institutions affiliated to University of Allahabad shall be done on the seats approved by N. R. C. of N. C. T. E. Any admission over and above this limit shall be invalid.

1.5 Admission to Arts, Science and Commerce streams shall be done on the seats decided on the basis of number of teachers available in different school subjects in a particular institution as per the NCTE regulation (2014). Due to non availability of Commerce teacher in K.P. Training College B. Com. Boys candidates can not apply in B.Ed. admission Test.

1.6 Admission Test and admission shall be governed by University of Allahabad Act- 2005. If new ordinances for B. Ed. are approved they will replace the existing Ordinances.

1.7 If seats are lying vacant under S.T. category due to non availability of candidates, such seats shall be adjusted under S.C. Category.

1.8 If seats are lying vacant under S.C. category due to non availability of candidates, such seats shall not be adjusted under any Category.

1.9 If any candidate of reserved category is eligible for admission on the basis of merit order under unreserved category he/she will be adjusted under Unreserved Category.

1.10 Only those candidates shall be entitled for admission under reserved category who have marked the reserved category in admission form and produced valid document in this regard at the time of admission.

1.11 No correction in the entries shall be permitted after submission of the registration form.

2. Admission Rules and Provisions:

2.1 Admission to B.Ed. course is governed by the directives of NCTE and ordinances related to University of Allahabad Act- 2005. In case of any contradictions in bulletin above ordinances will prevail. Any direction by NCTE or Central Government shall be mandatory.

2.2 Maximum seats for admission in any institution is decided on the basis of availability of teachers. Maximum number of seats is approved by NRC of NCTE.

For **K.P. Training College** (Co-ed institution) maximum intake is 62. (For Arts and Science Streams for Boys and Girls both). For **S. S. Khanna Girls' Degree College** (For Female Candidates only) maximum intake is 125. (For Arts, Science and Commerce Streams)

2.3 Admission to Science and Commerce Graduates shall be done subject to availability of teachers in concerned streams.

2.4 Separate merit list shall be prepared for Arts, Science and Commerce streams for reserved and unreserved category on the basis of scores obtained in admission test. Only female candidates can opt for both the colleges, therefore merit list for female candidates shall be prepared for both the colleges separately.

2.5 Such candidates will not be eligible for admission if he/she has been debarred/ expelled from the University for two or more years.

2.6 If there is any discrepancy in calculation of computed scores, the same can be corrected and consequently merit position can be revised. If by such revision the name of any candidate gets deleted from merit order his admission can be cancelled.

2.7 (a) No student of the University (Including any Institute thereof) is permitted to be admitted or enroll simultaneously in more than one degree granting course of study (Including research) in university or to be admitted / enroll in any degree granting course of study in any institution (including an Associated or Constituent college of university) during the period of his admission/enrolment in a degree granting course in the University.

(b) The admission /enrollment of a student referred to in clause(a) in the course of study concerned in the university shall automatically stand cancelled with effect from the date of his admission /enrollment in any other degree granting course of study in any other institution (including an Associated or Constituent college of the University).

(c) In case a student referred to in clause (a) secures admission/ enrollment in a new degree granting course of study in the university (including an institute thereof) during the period of his admission/ enrollment shall automatically stand cancelled with effect from the date of his later admission/enrollment.

(d) A student whose admission/enrollment in a postgraduate degree granting course of study(including law) automatically stand cancelled under clause (C), but who at the time of such cancellation had earned eligibility to appear at any part of the examination of the said course of study as an ex-student may, upon passing to final examination of the new course of study refer to in clause (c) , or upon the termination of his admission/enrollment therein, apply to the examinations committee for permission to appear in the said part of the examination as ex-student, but the examination committee shall not grant such permission except if the record establishes that he had, at the time of said cancellation, earned the said eligibility and not more than four consecutive academic session have elapsed since the academic session in which he was admitted/enrolled in the said part as a regular student.

(e) No student of the university (including an institute thereof) shall appear as a regular student and/or an ex-student in the same academic session in any part of the examination of more than one degree granting course of study.

(f) A person who has been on the rolls of the university (including the Associated and Constituent colleges and the institutes thereof) for a period of eight academic session or more (excluding the actual but not more than the permissible maximum period of enrollment as research scholar) shall not be eligible for admission to any course of study.

(g) No student of the university, other than one sponsored or permitted by his employer to attend (and fulfill the attendance requirement of) the course of study concerned, is permitted to be engaged in whole-time employment or whole-time self employment.

3. Format of Admission Test:

3.1 B. Ed. Admission Test shall have One Question paper for Two hours duration. This question paper shall have two sections. Section One will have 20 items of Hindi Language Comprehension,

Helpdesk Email: helpdesk.aupravesh2020@gmail.com
Helpdesk No.: +91-9453819385; 9455874516

20 items of English Language comprehension, 20 items on General Knowledge and Current Affairs, 20 Items on Mental Ability and 20 Items on Teaching Aptitude. These 100 Items shall be compulsory. Section Two will have 50 Items on Subject content Knowledge. Every candidate shall have to answer all the 50 items from any of the Arts, Science or Commerce Streams. Levels of items will be of three year degree course of B. A. / B. Sc. / B. Com. of University of Allahabad. Items of Arts stream will be from History, Geography, Political Science, Economics, Hindi Literature, English literature and Sanskrit Literature subject. Items of Science stream will be from Physics, Chemistry, Maths, Zoology and Botany subjects. Candidates shall have to answer 150 items in all and each item shall carry 02 marks. Items of General Knowledge shall be from Indian Social Life, History, Economic Development, Five Year Plans, Education Policy, Literature, Constitution, Sports, Environment, Health, Geography etc. Items of Mental Ability will include Items from Logical Ability, Relational Thinking, Symbol Transformation, Abstract Thinking and Classification Ability, inductive deductive thinking. **Total Questions – 150, Total Marks – 300**

Test Centre and Mode of Examination

Admission Test shall be held through **On-line Mode** at the centre allotted by the university on the Admit Card. The Candidates shall have to make their own arrangements for travel and stay for appearing in the written and orals and shall not be entitiled to any TA/DA.

Minimum qualifying marks and deduction for gap years :

(i) All students who have passed the qualifying exam in the same year in which they appear in the Admission Test no marks will be deducted from their grand total, but those who appear after the gap of one year 5% marks will be deducted from the grand total similarly two year gap will invite 10% deduction and three years gap will invite in 15% deduction a gap of more than three years will not invite more than 15% deduction.

3.2 Candidates are not allowed to talk to other examinees in examination hall, use or attempt to use unfair means or creating obstacles in conduct of examination shall be liable of penalty.

3.3 Any scrutiny or revaluation of answer sheets shall not be permitted on any ground.

3.4 **No weightage for NCC/NSS shall be given for Admission in B.Ed. course. Sports quota shall not be available under this course.**

4. RESERVATION AND SPECIAL CONSIDERATION / QUOTA:

A. In accordance with provision of Section 9 of the University of Allahabad Act, 2005 (Act No. 26 of 2005) seats shall be reserved for Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) and Other Backward Classes (OBC) category candidates in all subjects / course for which the Admission Test has been held, as given here under:

(i) 15% of the total seats in each subject / course shall be reserved for candidates belonging to Scheduled Caste (SC) category;

(ii) 7.5% of the total seats in each subject / course shall be reserved for candidates belonging to Scheduled Tribe (ST) category; and

(iii) 27% of the total seats in each subject / course shall be reserved for candidates belonging to Other Backward Caste (OBC) category.

(iv) In case the seats reserved for Scheduled Tribe (ST) category candidates remain vacant on account of non-availability of candidates the same shall be filled by the candidates of Scheduled Caste (SC) candidates.

(v) Subject to any order from NCTE, 25% seats may be increased for admission under Economically Weaker Section (EWS) quota. 10% of the total seats shall be reserved for candidate belonging to EWS category. Reservation to EWS candidates shall be given by the University as per Govt. of India guidelines, the regulation/norms issued by the UGC and subject to any decision of the Hon'ble Supreme Court of India or Hon'ble Hihg Court of Allahabad, if any.

Note: These rules are indicative and UGC Regulation on Reservation as on the date of declaration of Results shall be followed.

B. Kashmiri Migrants:

Weightage as per Government of India guidelines shall be given to Kashmiri Migrants. In order to avail this weightage, the candidates shall have to present a certificate to this effect from an officer of the Ministry of Human Resource Development not below the rank of Joint Secretary or equivalent.

C. Foreign Nationals/NRI:

Foreign Nationals shall be required to apply through International Students Advisor in accordance with the procedure laid down by the University of Allahabad. The candidate in this case shall not be required to appear in the Admission Test / Entrance Test, but shall be considered for admission on the recommendation of a committee constituted for the purpose, which shall examine the academic credentials and certificates of the candidate before making any recommendation.

D. Person with Disability (Divyang):

(i) As per section 32(1) of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, all Government institutions of higher education and other higher education institutions receiving aid from the Government shall reserve not less than **five(05) per cent** seats for person with benchmark disabilities. Therefore 5% of total seats for this course will be available for person with disability who can pursue this course without any difficulty.

(ii) A candidate who has a certified disability of not less than 40 % in any limb or in orthopaedic structure which, in the opinion of the Medical Board (constituted by the University of Allahabad), amounts to an overall physical handicap of not more than 70% or is a certified Visually impaired or a Hearing impaired, may be admitted to the concerned course / subject, irrespective of his position in the order of merit of the total aggregate score, on the recommendation of the Medical Board.

(iii) Seats under this quota shall be filled in order of preference given below. One percent each shall be reserved for person with benchmark disability under clause (a), (b) and (c), and one percent with benchmark disability under clauses (d) and (e) namely.

a. Blindness and low vision.
b. Deaf and hard of hearing.
c. Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.
d. Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness.
e. Multiple disabilities from amongst person from clauses (a) to (d).

(iv) The privilege shall not be given except claimed by the candidate at the time of application. At the time of admission the candidate shall be required to produce a certificate issued by the Chief

Medical Officer of the appropriate District or by the Viklang Kendra, Allahabad, which testifies to his disability and bears an attested photograph indicating his / her disability clearly.

(v) All candidates entitled to be admitted under the above quota to a course shall be adjusted against their respective social category.

E. Teacher/Employee Ward Quota:

After the completion of admission on the sanctioned seats in each course of study, the wife, sons and daughters of regularly appointed serving and retired teachers / employee of the University, the University Institutes, the constituents Colleges and constituents Institutes, who produce relevant certificate duly signed by the Registrar in case of University, the Director in case of University Institutes, the Principal in the case of constituent Colleges and the Director in case of constituent Institutes shall be admitted, on the basis of their relative scores against 5% supernumerary seats (with a minimum of one seat) in each course of study, only in the unit/sub-unit in which such Teachers/Employees are serving or where from they have superannuated.

Provided that if in case seats remain vacant in a course in the unit/subunit, these will be filled by the wards of the employees of other units/subunits and words of contractual and daily wage employees of the University, University Institutes, the Centers thereof and the independent Centers.

Note-Teacher/Employee Ward benefit will be granted only when the candidate has made such a claim in the Application Form and presents the required documents and certificates at the time of admission. The order of merit for admission shall be determined on the basis of computed marks of the candidate.

No weightage shall be given for NCC/NSS. No seats are available under sports quota.

Procedure for Online submission of Application Form for Admission Test

Please refer to www.aupravesh2020.com OR Admission-2020 link of www.allduniv.ac.in for more details in this regard.

APPLICATION PROCEDURE

Instruction for Filling in the Online Application Form

The candidate has to **fill and submit the Form ON-LINE,** in accordance with the instruction given in the said Website and also summarised in this Section.

Note : The Form shall not be **accessible** at the Website www.aupravesh2020.com or admission 2020 Link of www.allduniv.ac.in after the **last date** of assessibility given in the Schedule. Before proceeding to fill and submit the **On-line Application/Registration Form** for B.Ed. Admission Test 2020, the candidate is strongly advised to carry out the following tasks for his/her own convenience :

- Take a Print-out of this Brochure (Information and Guidelines) and read it carefully.
- Read thoroughly the Instructions for the filling and submission of the on-line Form.
- Review and ensure the correctness of the details of his/her academic record at Graduation, for purpose of making required entries in the On-line Form.

The applicants are required to have a scanned copy of their coloured photograph (3.5 cm. x 4.5 cm) and their signature. These scanned copies of coloured photo (3.5cm. x 4.5 cm) in JPEG Format (*.JPG) 80 KB and signature in JPEG (*.JPG) 80 KB Format are required to be uploaded during the online form submission. The file size of photograph (80 KB) and signature (80KB) in any case shall not exceed. All aspirants filling the Online Form are advised to read the instructions to fill up the Online Form, which has all the pre-requisite and the guidelines to this regard.

If the candidate does not already have an e-mail address (e-mail ID), he/she should create for himself/herself a valid e-mail ID, in order that the B.Ed. Admission Test 2020 Committee may sent him/her significant instructions or information (as per need) by e-mail.

It should be noted that the Test Fees shall not be refunded or carried over in case the application of the candidate is rejected, or his/her candidature is rendered infructuous or cancelled at any stage, or he/she not appear wholly or partially for B.Ed. Admission Test 2020.

Note : There is no provision for the withdrawal by a candidate for B.Ed. Admission Test 2020 once he/she has submitted the Form or, pursuant to the same, remitted the Test Fees.

The candidate is strongly advised to check (and double-check) that all the required entries have been fully and correctly made by him/her on the On-line Application/Registration Form, and in particular to ensure the following :

- His/Her scanned Photograph along with this/her signature has been properly submitted while submitting the Online Registration Form.
- The information entered in different columns is factually correct and complete (i.e. relevant information has not been concealed or misrepresented).

After completing and checking its entries the candidate should submit the On-Line Form by clicking the **SUBMIT Button** at the bottom for the online form. In the following circumstances, the Website shall refere to accept the Form and shall give a message indication the mistake (or mistakes) in the Form requiring correction. Such messages may indicate the following circumstances:

- The candidate has not filled one or more essential mandatory fields (i.e. has not made one or more compulsory entries which are marked by * in the online form).
- The candidate has made an irrelevant entry in any field.
- The candidate shall have to correct all the mistakes indicated in the message, and then submit the On-line Form once again by clicking on the SUBMIT Button. The Website may again refuse to accept the Form in case mistakes remain. In such a situation, the candidate shall continue to have to make the required corrections and keep on submitting the Form, by clicking again on the **SUBMIT** Button till no further mistakes are pointed out by the Website.

After the form is submitted successfully, the Website will give the following message :

APPLICATION SUCCESSFULLY SUBMITTED

And will display Application ID assigned to the candidate for accessing the Website in respect of his/her candidature. An e-mail will also be sent to the candidate. The candidate is strongly advised to securely remember / store the E-mail & Application ID for future use and reference. The candidate may feed his/her E-mail and Application ID to the Website to view and take a Printout of the Form, and check the status of his

application.

Note : It is clarified that the successful submission of the candidate's Form does not indicate that his/her candidature for B.Ed. Admission Test 2020 has been approved. In fact, the form is subject to further scrutiny and the candidate shall not be entitled to appear at B.Ed. Admission Test 2020 till his/her candidature has been approved and his **ADMIT CARD** has been released On-line at the Website.

Immediately after the successful submission of the Form for final processing, the candidate should do the following :

- Get the hard copy (Print-out) of the Form from the Website for your own record. The hard copy of the Form received within the prescribed date shall be scrutinized in the following respects :

Upon the **REGISTRATION** of the candidate, a message to this effect shall be displayed with his/her On-line Application Form on the Website (which may be viewed by entering the application USER).

Once the candidate has been Registered, he/she should view and take a hard copy (Print-out) of his/her **ADMIT CARD.** The **ADMIT CARD** shall indicate the Roll Number, and the Test Centre details of the candidate.

For the convenience of the online application
Help Desk has been setup
Helpdesk No. : +91-9453819385; 9455874516
Helpdesk email ID : helpdesk.aupravesh2020@gmail.com

Note : Call centre timing – 10:00 AM to 07:00 PM (All Days)

प्रवेश सूचना पुस्तिका

बी0एड्0 प्रवेश परीक्षा–2020

बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेष हेतु अध्यादेष

प्रवेष हेतु पोर्टल

विस्तृत सूचनाओं हेतु पोर्टल www.aupravesh2020.com या विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.allduniv.ac.in देखें

महत्त्वपूर्ण निर्देश

1. अभ्यर्थी प्रवेश फार्म भरते (ऑन लाइन) समय यह अवश्य सुनिशिचत कर लें कि उनके द्वारा उपलब्ध करायी गई समस्त सूचनायें सही हैं और उनकी प्रविष्टियाँ फार्म में सही हैं। सूच्य हो कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनायें एवं भरी गई प्रविष्टियों को किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जायेगा और विश्वविद्यालय न तो इस सन्दर्भ में उत्तरदायी होगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आवेदन/निवेदन स्वीकार करेगा।
2. यदि किसी (केन्द्र/सेन्टर) पर परीक्षार्थियों की संख्या 100 से कम है तो इस दशा में परीक्षार्थी का दूसरा निकटतम केन्द्र/सेन्टर आवंटित कर दिया जायेगा।
3. उत्तर पत्रकों/पुस्तिकाओं के पुनरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।
4. विवरणिका के हिन्दी और अंग्रजी संस्करण में दिये गये नियमों मे यदि कोई विरोधाभास होगा तो अंग्रेजी संस्करण में दिये गये नियम ही मान्य होंगे।
5. केवल उन्हीं RTI याचिकाओं को स्वीकार किया जायेगा जो अन्तिम परिणाम प्रकाशित होने के 60 दिन के अन्दर प्राप्त होंगी।
6. प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी श्रेणी, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक कमजोर वर्ग के साथ अपनी सह–श्रेणी (Sub-category) भी लिखना है।
7. वर्तमान सत्र 2019–20 में अर्ह परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाने के प्रत्येक वर्ष के गैप पर 5% परीक्षा में प्राप्त अंकों की कटौती की जायेगी। अधिकतम कटौती 15% होगी।
8. प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने खिलाफ हुये सभी अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही तथा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही को स्पष्ट करना होगा।
9. रजिस्ट्रेशन शुल्क – सामान्य, आर्थिक कमजोर वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रु. 1600/– तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग के अभ्यर्थियों के लिए रु. 800/– निर्धारित है।
10. प्रत्येक अभ्यर्थी प्रवेश भवन में परीक्षाफल घोषित होने के एक माह के अन्दर रु. 100/– के टोकन शुल्क देकर अपनी उत्तर–पुस्तिका का निरीक्षण कर सकता है।

महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन पंजीकरण एवं प्रवेष आवेदन पत्र का प्रारम्भ	
ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	
प्रवेष परीक्षा की तिथि	
ऑनलाइन प्रवेष पत्र प्राप्त करने की तिथि	

(अ) 'प्रवेश का तात्पर्य बी0एड0 पाठ्यक्रम के प्रवेश से है।

(ब) 'प्रवेश परीक्षा' का तात्पर्य प्रवेशार्थी की अर्हता एवं सम्बन्धित योग्यता (मेरिट) क निर्धारण के लिए इन अध्यादेशों एवं इनके अन्तर्गत बने विनियमों के अनुसाार आयोजित की गयी परीक्षा से है।

(स) 'अभ्यर्थी/प्रवेशार्थी'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इन अध्यादेशों एवं इनके अन्तर्गत बने विनियमों के अधीन बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित योग्यता धारित करता है तथा इस प्रवेश परीक्षा में विहित रीति से आवेदन करता है।

(द) 'संगणित अंक' से तात्पर्य बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु श्रेष्ठता क्रम के निर्धारण हेतु इन अध्यादेशों एवं इनके अन्तर्गत बने नियमों में अभ्यर्थी/प्रवेशार्थी द्वारा अर्जित प्राप्तांकों जिसमें अधिभार (वेटेज) जोड़ा गया है, से है।

(य) 'अर्हकारी परीक्षा' से तात्पर्य स्नातक तथा ब्रिज पाठ्यक्रम परीक्षा से है जो इन अध्यादेशों एवं इनके अन्तर्गत बनाये गये विनिमयों के उपबन्धों के अधीन आयोजित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने तथा प्रवेश लेने हेतु, उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(र) 'अर्हकारी अंक' से तात्पर्य, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0) द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अंक से है, जो अभ्यर्थी/प्रवेशार्थी को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है।

1. प्रवेश सम्बन्धी नियम एवं व्यवस्था—

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध (1) काली प्रसाद प्रशिक्षण महाविद्यालय (सरकारी सहायता प्राप्त) अथवा (2) केवल महिलाओं के लिए सदनलाल सांवलदास खन्ना महिला महाविद्यालय (स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित) में बी0एड्0 कक्षा में प्रवेश लिया जायेगा।

बीएड पाठ्यक्रम दो वर्षो (चार सेमेस्टर) का होगा जिसे प्रवेष की तिथि से अधिकतम तीन वर्षो में पूरा करना होगा।

1.1 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक डिग्री या परास्नातक विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविक/कामर्स में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इंजीनियरी, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो में 55% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

1.2 अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ0बी0सी0/पी0डब्लू0डी0 और अन्य वर्गों के लिए स्थान आरक्षण तथा अंकों में छूट केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार होगी।

1.3 बी0एड्0 प्रवेश में केवल वे प्रवेशार्थी सम्मिलित हो सकते है जिन्होंने अर्हकारी स्नातक/परास्नातक

परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है।

1.4 इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहयुक्त अध्यापक शिक्षा संस्था में प्रवेश हेतु उपलब्ध अधिकतम स्थानों की संख्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की उत्तर क्षेत्रीय समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। निर्धारित सं0 के अतिरिक्त कोई भी प्रवेश अवैध होगा।

1.5 कला, विज्ञान तथा वाणिज्य वर्ग के स्नातकों का प्रवेश उन्हीं सीटों के लिए किया जायेगा जो सम्बन्धित सहयुक्त महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यालयी विषयों से सम्बन्धित शिक्षकों की संख्या के आधार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देश (2014) के अनुरूप अनुमन्य होंगे। **काली प्रसाद प्रशिक्षण महाविद्यालय में कामर्स अध्यापक न होने के कारण बी0 कॉम0 श्रेणी में प्रवेष नहीं हो सकेगा।**

1.6 प्रवेश परीक्षा, तथा प्रवेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रवर्तित परिनियम, अध्यादेश और विनियम (अद्यतन संशोधित/रूपान्तरित) से शासित है। यदि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत बी0एड्0 प्रवेश हेतु नवीन अध्यादेश (Ordinance) स्वीकृत हो जाते हैं, तो वे वर्तमान अध्यादेशों का स्थान लेंगे।

1.7 यदि अनुसूचित जनजातियों के प्रवेशार्थियों की अनुपलब्धता के कारण उनके लिए आरक्षण स्थान रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त स्थानों को अनुसूचित जातियों के प्रवेशार्थियों हेतु आरक्षित स्थानों में समायोजित कर दिया जायेगा।

1.8 यदि अनुसूचित जातियों के प्रवेशार्थियों की अनुपलब्धता के कारण उनके लिए आरक्षित स्थान रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त स्थानों को किसी अन्य श्रेणी में समायोजित नहीं किया जायेगा।

1.9 यदि आरक्षित कोटि को कोई प्रवेशार्थी श्रेष्ठता क्रम के में अपनी स्थिति के आधार पर अनारक्षित स्थान पर प्रवेश हेतु अर्ह होता है, तो प्रवेश दिये जाने पर उसे अनारक्षित स्थान पर ही समायोजित किया जायेगा।

1.10 आरक्षित स्थान पर प्रवेश हेतु केवल वह प्रवेशार्थी अर्ह होगा जिसने प्रवेश आवेदन प्रपत्र में आरक्षित कोटि की सदस्यता का उल्लेख किया होगा तथा आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र पर इसका साक्ष्य (प्रमाण–पत्र) प्रस्तुत किया होगा।

1.11 प्रवेश पंजीकरण पत्रक भरकर जमा करने के बाद उसमें किसी प्रकार का संशोधन सम्भव नही होगा।

2. प्रवेष सम्बन्धी नियम एवं व्यवस्था

2.1 बी0एड्0 पाठ्यक्रम में प्रवेश राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देशों तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 से सम्बन्धित अध्यादेशों तथा विनियमों से शासित है। इस निर्देशिका के किसी भी भाग की उक्त अध्यादेशों एवं विनियमों से विसंगति होने अथवा निर्देशिका में उनके किसी प्रावधान का उल्लेख न होने की स्थिति में उक्त अध्यादेश एवं विनियम सर्वोपरि मान्य होंगे। यदि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या केन्द्रीय सरकार का कोई निर्देश इनसे भिन्न होगा तो वह निर्देश बाध्यकारी होगा।

2.2 प्रवेश हेतु अधिकतम सीटों की संख्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उत्तर क्षेत्रीय समिति द्वारा अनुमोदित की जाती है। **के0 पी0 ट्रेनिंग कालेज** (सहशिक्षा) में अधिकतम सीट 62 (कला एवं

विज्ञान वर्ग हेतु) और **एस0 एस0 खन्ना डिग्री कालेज** (केवल महिला) में अधिकतम सीट 125 (कला विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग हेतु) हैं।

2.3 महाविद्यालय के विज्ञान एवं वाणिज्य के स्नातकों का प्रवेश इस प्रकार किया जायेगा कि बी0एड्0 विभाग में शिक्षक : छात्र अनुपात 1 : 10 बना रहे।

2.4 प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आरक्षित तथा अनारक्षित स्थानों के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग के पृथक–पृथक श्रेष्ठता सूचियाँ तैयार की जायेगी। केवल महिला आवेदिकाओं की उनके द्वारा प्रस्तुत महाविद्यालय सम्बन्धी वरीयता के आधार पर स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित एस0एस0 खन्ना महिला महाविद्यालय के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में आरक्षित एवं अनारक्षित स्थानों के लिए अलग श्रेष्ठता सूचियाँ तैयार की जायेंगी।

2.5 श्रेष्ठता सूची में यदि किसी अभ्यर्थी के आचरण के विरूद्ध जिलाधिकारी द्वारा लिखित सूचना दी गयी हो अथवा किसी के विरूद्ध आपराधिक मामले चल रहे हों अथवा किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो अथवा विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने के कारण दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए निष्कासित किया गया हो, तो ऐसे प्रवेशार्थी को सूची में नाम होते हुए भी प्रवेश न देने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

2.6 विकलांग कोटा : विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 05 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। विकलांग श्रेणी में प्रवेश विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों से शासित होगें।

2.7 विकलांग प्रवेशार्थी को उसकी सामाजिक कोटि के अनुसार समायोजित किया जायेगा अर्थात् उनका समायोजन अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए उपलब्ध स्थानों पर किया जायेगा।

2.8 संगणित अंक की गणना में त्रुटि होने पर उसके सुधार के परिणामस्वरूप सम्बन्धित श्रेष्ठता सूची में प्रवेशार्थी की स्थिति में संशोधन किया जायेगा तथा यदि उक्त सुधार के कारण प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थी का नाम प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थियों के श्रेष्ठताक्रम से हट जाता है, तो उसे दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

2.9 (अ) विश्वविद्यालय के किसी विद्यार्थी को यह अनुमति नहीं है कि वह एक ही समय (Simultaneously) विश्वविद्यालय में एक से अधिक उपाधि–प्रदायक पाठ्यक्रम (जिसमें शोध सम्मिलित है) में प्रविष्ठ/नामांकित बना रहे या विश्वविद्यालय में उपाधि–प्रदायक पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश/नामांकन की अवधि में किसी अन्य संस्था (जिसमें विश्वविद्यालय का सहयुक्त या घटक महाविद्यालय सम्मिलित है) में प्रविष्टि बना रहे।

(ब) उप–प्रस्तर 2.10.1 में उल्लिखित किसी विद्यार्थी का विश्वविद्यालय (जिसमें उसका कोई संस्थान सम्मिलित हैं) में सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश/नामांकन उस तिथि के प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जायेगा जिस तिथि पर उसका किसी अन्य संस्था (जिसमें विश्वविद्यालय का सहयुक्त घटक महाविद्यालय सम्मिलित है) में किसी अन्य उपाधि–प्रदायक पाठ्यक्रम में प्रवेश/नामांकन होता है।

(स) यदि उप–प्रस्तर 2.10.1 में उल्लिखित कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय (जिसमें उसका कोई संस्थान सम्मिलित है) के किसी उपाधि–प्रदायक पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश/नामांकन की अवधि में विश्वविद्यालय (जिसमें उसका कोई संस्थान सम्मिलित है) में किसी नये उपाधि–प्रदायक पाठ्यक्रम में प्रवेश/नामांकन प्राप्त करता है, तो उसके नये

प्रवेश/नामांकन की तिथि के प्रभाव से उसका पूर्ववर्ती प्रवेश/नामांकन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(द) यदि उस विद्यार्थी ने जिसका किसी स्नातकोत्तर उपाधि–प्रदायक पाठ्यक्रम में प्रवेश/नामांकन उप–प्रस्तर 2.10.3 के अधीन स्वतः निरस्त हो गया है, ऐसे निरस्तीकरण के समय उक्त पाठ्यक्रम के किसी भाग की परीक्षा में भूतपूर्व विद्यार्थी (Ex-student) के रूप में प्रस्तुत होने की अर्हता अर्जित कर ली हो, तो वह उप–प्रस्तर 2.10.3 में उल्लिखित नये पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने या उसमें अपने प्रवेश/नामांकन के समाप्त होने पर उक्त (पूर्ववर्ती पाठ्यक्रम की परीक्षा के) भाग की परीक्षा में भूतपूर्व विद्यार्थी (Ex-student) के रूप में प्रस्तुत होने की अनुमति के लिए परीक्षा समिति को आवेदन कर सकता है, परन्तु परीक्षा केवल निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति पर ही उसे ऐसी अनुमति प्रदान करेगी। अभिलेख यह स्थापित करता है कि उसने उक्त निरस्तीकरण के समय उक्त अर्हता अर्जित कर ली थी, तथा जिस शैक्षिक सत्र से वह उक्त भाग में नियमित (Regular) विद्यार्थी के रूप में प्रविष्ठ/नामांकित हुआ था, उससे केवल अधिकतम् चार लगातार शैक्षिक सत्र व्यतीत हुए है।

(य) विश्वविद्यालय (जिसमें उसका कोई संस्थान सम्मिलित है) का कोई विद्यार्थी एक ही शैक्षिक सत्र में एक से अधिक उपाधि–प्रदायक पाठ्यक्रम की परीक्षा के किसी भाग में नियमित विद्यार्थी तथा/अथवा भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत नहीं हो सकता है।

(र) यदि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय (जिसमें उसके सहयुक्त एवं घटक महाविद्यालय तथा संस्थान सम्मिलित है) की विद्यार्थी–नियमावली (Rules) में आठ से अधिक शैक्षिक सत्रों की अवधि (जिसमें शोध–छात्र के रूप में नामांकन की वास्तविक परन्तु इस निमित्त अनुमेय अधिकतम् अवधि से अनधिक अवधि सम्मिलित नहीं है) व्यतीत कर चुका है तो वह किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।

(ल) उस विद्यार्थी को छोड़कर जिसे उसके सेवायोजक ने सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रतिभाग करने (तथा उसमें उपस्थिति की अपेक्षाओं की पूर्ति करने) हेतु प्रयोजित किया है या अनुमति प्रदान की है, विश्वविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी को पूर्णकालिक सेवायोजन या पूर्णकालिक स्व–सेवायोजन में संलग्न रहने की अनुमति नहीं है।

3. प्रवेश परीक्षा का प्रारूप–

3.1 बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जो दो घंटे का होगा। इस प्रश्न पत्र में दो खण्ड होंगे। प्रथम खण्ड में हिन्दी भाषा बोध के 20 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा बोध के 20 प्रश्न, सामान्य ज्ञान एवं समसामायिक गतिविधियों के 20 प्रश्न, मानसिक योग्यता के 20 प्रश्न, शिक्षण अभिक्षमता के 20 प्रश्न होगें। ये 100 प्रश्न अनिवार्य होगें।

द्वितीय खण्ड में विषय ज्ञान सम्बन्धी 50 प्रश्न होगें। प्रत्येक अभ्यर्थी को कला, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में से किसी एक वर्ग से सम्बन्धित सभी 50 प्रश्न के उत्तर देने होगें। प्रश्नों का स्तर इ0वि0वि0 के त्रिवर्षीय बी0ए0/बी0एस0सी0 /बी0काम0 के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा कला वर्ग में पूछे जाने वाले प्रश्न इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य विषयों से सम्बन्धित होगें। विज्ञान वर्ग में पूछे जाने वाले प्रश्न भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, तथा वनस्पति विज्ञान से सम्बन्धित होगें।

प्रत्येक अभ्यर्थी को कुल 150 प्रश्न हल करने होगें। तथा प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का होगा।

कुल प्रष्न – 150 कुल प्राप्तांक– 300

सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न भारतीय सामाजिक जीवन, इतिहास, आर्थिक विकास, पंचवर्षीय योजना, शिक्षा नीति, साहित्य, संविधान, खेलकूद, पर्यावरण, स्वस्थल, भूगोल आदि से सम्बन्धित होगें। मानसिक योग्यता से सम्बन्धित प्रश्न तार्किक योग्यता, सम्बन्धात्मक चिन्तन, संख्या श्रेणी, आगमनात्मक निगमनकता, संकेत रूपानतर ,स्थागन संबंध, अभूर्त चिन्तन, वर्गीकरण आदि से सम्बन्धित होगें।

– प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र पर अंकित केन्द्र पर ऑन लाइन होगी।

– न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक तथा सत्र अंतराल की कटौती के सम्बन्ध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य नियम लागू होगें।

न्यूनतम अर्हता अंक तथा गैप इयर हेतु अंकों में कटौती :–

(क) जिन छात्रों ने अर्हकारी परीक्षा उसी वर्ष में उत्तीण की है जिस वर्ष वे प्रवेश परीक्षा में बैठे रहे हैं उनमें अंकों में कोई कटौती नहीं की जायेगी। लेकिन एक वर्ष के अन्तराल पर प्रवेश परीक्षा देने पर कुल अंकों में 5 प्रतिशत, दो वर्षो के अन्तराल पर प्रवेश परीक्षा दने पर 10 प्रतिशत तथा दो से अधिक वर्षो के अन्तराल पर प्रवेश परीक्षा देने पर 15 प्रतिशत अंकों की कटौती की जायेगी।

3.2 परीक्षा कक्ष में प्रवेशार्थी के लिये अन्य प्रवेशार्थियों से बात करना, किसी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग/प्रयास करना, स्वयं या अन्य व्यक्तियों से मिलकर प्रवेश प्ररीक्षा के सुचारू संचालन में व्यवधान डालना अथवा अधिकारिक रूप से या कक्ष निरीक्षक द्वारा दिये निर्देशों की अवहेलना करना पूर्णतः वर्जित है। ऐसी किसी वर्जना के अतिक्रमण पर प्रवेशार्थी अनुचित साधन/अनुचित कार्यवाही हेतु दोषारोपित एंव दण्डित किया जायेगा।

3.3 प्रवेश परीक्षा के उत्तर–पत्रकों की संवीक्षा (Scrutiny) या पुनर्मूल्यांकन (revaluation) की किसी भी आधार पर अनुमति नहीं दी जायेगी।

3.4 बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 अथवा खेलकूद के सम्बन्ध में कोई भी अधिभार देय नहीं होगा।

आरक्षण तथा विषेष सुविधा/कोटा :

(अ) कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण

1.0 इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005(2005 का अधिनियम 26) के परिनियम के खण्ड 9 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सभी विषयों/पाठ्यक्रमों जिसके लिए प्रवेश आयोजित है, निम्न अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

1.1 प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम के कुल सीटों/स्थानों का 15 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित।

1.2 प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम के कुल सीटों/स्थानों का 7.5 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित।

1.3 प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम के कुल सीटों/स्थानों का 27 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित।

1.4 यदि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित स्थान उस वर्ग के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रहते हैं तो रिक्तियों को अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

1.5 कुल सीटों का 10 प्रतिशत आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होगा। आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण प्रदान करने हेतु 25 प्रतिशत सीटों की वृद्धि की जाएगी।

विषेष– आरक्षण सम्बन्धी नियमों में भारत सरकार मानव संसाधन मन्त्रालय द्वारा किये गये सभी परिवर्तन बाध्यकारी होंगे।

एनसीसी/एनएसएस हेतु बी.एड. कोर्स में प्रवेश हेतु कोई अधिभार नहीं दिया जायोगा। खेलकूद कोटा भी इस कोर्स में उपलब्ध होगा।

(ब) विस्थापित कष्मीरी :

2.0 विस्थापित कश्मीरियों को तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (जो कि मानव संसाधन मंत्रालय के सक्षम अधिकारी जो कि संयुक्त सचिव स्तर अथवा समकक्ष से निचले स्तर का न हो के द्वारा प्रदत्त) के आधार पर भारत सरकार के निर्देशों/प्रावधानों के तहत अधिभार/अधिलाभ प्रदान किया जायेगा।

(द) विदेषी नागरिक/अनिवासी भारतीय :

4.0 उन विदेशी नागरिकों के लिए जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करके अन्तर्राष्ट्रीय छात्र सलाहकार के माध्यम से आवेदन किया है, उनको प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है। उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त विदेशी परामर्शदात्री समिति की संस्तुति पर प्रवेश दिया जा सकता है। समिति संस्तुति के पूर्व अभ्यर्थी के शैक्षिक स्तर पर तथा उनकी प्रमाणिकता का अध्ययन करेगी।

(य) खेलकूद कोटा :

5.0 इस कोटे के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जायेगा, जो कि अन्तर वि"वविद्यालय टूर्नामेंट में भारतीय वि"वविद्यालय संघ (ए0आई0यू0) नयी दिल्ली के नियमों के अनुसार भाग लेने के अर्ह है तथा जूनियर स्तर (कक्षा 10 तथा 12) पर 'स्कूल गेम्स फेडरे"ान ऑफ इण्डिया' तथा जूनियर स्तर (19 वर्ष आयु से निम्न) जिला, क्षेत्र, प्रदेश तथा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप जो कि मान्यता प्राप्त विभिन्न जिला/प्रदेशीय ऐसोशियेशन और फेडरेशन के द्वारा आयोजित की गयी हो, मे अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।

अभ्यर्थियो का चयन सीट/स्थान की उपलब्धता तथा विषय में प्राप्त मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

5.1 सलाहकार समिति, स्पोर्टस् बोर्ड तथा इलाहाबाद वि"वविद्यालय को 'फील्ड ट्रायल' का आयोजन करने तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अर्हकारी प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों आदि का परीक्षण करने/सत्यता जाँचने आदि का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

5.2 अभ्यर्थियों को प्रवेश/इण्टरव्यू/काउंसलिंग के समय खेलकूद से सम्बान्धित अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्रों व अभिलेखों को अव"य प्रस्तुत करना होगा। वि"वविद्यालय का यह सर्वाधिकार सुरक्षित है कि वह समस्त अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों की सत्यता परखे तथा यदि यह गलत अथवा असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

5.3 प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम में कुल स्थानों का 2 प्रति"ात स्थान खेलकूद कोटे के अन्तर्गत आवन्टित है।

5.4 खेलकूल कोटा में प्रवे"ा स्पोर्टस् बोर्ड की सलाहकार समिति द्वारा दी गई वरीयता सूची के आधार पर ही होगा।

(र) दिव्यांग कोटाः पाठ्यक्रम के स्वीकृति स्थानों के 5% की अधिकृत सीमा तक प्रवे''ाार्थी।

6. (i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2018 की धारा 32 (1) के अनुसार, उच्च शिक्षा की सभी सरकारी संस्थाएं और सरकार से सहायता प्राप्त कर रही अन्य शिक्षा संस्थाएं संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए 5% स्थानों को आरक्षित रखेंगी। इसलिए, पाठ्यक्रम के कुल स्वीकृत सीटों की 5% सीटें दिव्यांगजनों हेतु उपलब्ध होंगी।

(ii) वे अभ्यर्थी जिनके किसी अंग या अस्थि रचना में न्यूनतम 40% विकलांगता है, विश्वविद्यालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड मतानुसार अधिकतम 70% की समग्र शारीरिक अक्षमता है या जो प्रमाणित नेत्रहीन हैं अथवा जो सुनने में असमर्थ हैं, मेडिकल बोर्ड की संस्तुति के आधार पर उनका सम्बन्धित पाठ्यक्रम/विषय में प्रवेश हो सकता है।

(iii) खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भित दिव्यांगजनों हेतु एक प्रतिशत सीटें प्रत्येक हेतु आरक्षित होंगी तथा खण्ड (घ) एवं (ङ) के संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए एक प्रतिशत सीटें प्रत्येक हेतु आरक्षित होंगी।

(क) अंध और निम्न दृष्टि

(ख) बधिर और श्रवणशक्ति में ह्रास

(ग) चलन दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है।

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम और मानसिक रुग्णता।

(ङ) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदो ंके खण्ड (क) एवं खण्ड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता।

(iv) यह विशेष सुविधा तभी अनुमन्य होगी जबकि अभ्यर्थी ने प्रवेश आवेदन प्रपत्र में इसका दावा किया है तथा उसने उपर्युक्त के मुख्य राजकीय चिकित्सा अधिकारी या विकलांगता प्रमाण–पत्र (जिसमें विकलांगता को स्पष्ट दर्शाता हुआ उसका फोटो भी है) प्रवेश के समय प्रस्तुत किया है।

(v) विशेष सुविधाओं के अधीन प्रविष्ट प्रवेशार्थियों को उनके सामाजिक कोटि के अनुसार आरक्षित स्थानों पर समायोजित किया जाएगा।

(vi) (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) में वर्णित सीटों पर प्रवेश, उनकी सम्बन्धित अपंगता के प्रति''ात के अनुसार किया जाएगा।

नोट– इस पाठ्यक्रम में एनसीसी/एनएसएस हेतु

(ल) षिक्षक/कर्मचारी पाल्य कोटा :

7. **कर्मचारी/अध्यापक पाल्य कोटा–** विश्वविद्यालय के नियमित एवं सेवा निवृत्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पत्नी, बेटा या बेटी के लिए विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत कुल सीटों की पाँच प्रतिशत अतिरिक्त सीटें आरक्षित होंगी। उसी ईकाई/उपईकाई में कार्यरत अध्यापको कर्मचारियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। बशर्ते यदि सीटें रिक्त रह जाएगी तो उसे अन्य कोई/उपइकाई के कर्मचारियो/अध्यापकों के पाल्यो तथा संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के पाल्यों द्वारा भरी जाएगी।

नोटः– कर्मचारी/अध्यापक पाल्य कोटा का लाभ तभी अनुमन्य होगा यदि अभ्यर्थी ने इस कोटे का दावा विहित आवेदन पत्र में किया हो तथा प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता है।

______

For the convenience of the online application
Help Desk has been setup
Helpdesk No.: +91-9453819385; 9455874516
Helpdesk email ID : helpdesk.aupravesh2020@gmail.com

Note : Call centre timing – 10:00 AM to 07:00 PM (All Days)